

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

सं0सं09/आ0-4-17/2014/स्वा0/पटना,..... दिनांक / डा0 अरुण कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित को दिनांक 04.12.14 को 20,000/- (बीस हजार रूपए) रिश्वत लेते हुए उनके आवास से निगरानी विभाग के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने एवं थाना कांड सं0 96/2014 दिनांक 05.12.14 दर्ज किए जाने के आरोप में गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 04.12.14 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

माननीय निगरानी न्यायालय, पटना द्वारा विशेष केश सं0- 63/2014 में पारित आदेश दिनांक 04.02.15 के आलोक में जमानत पर रिहा होने के उपरांत दिनांक 06.02.14 को डा0 गुप्ता द्वारा सिविल सर्जन बेगूसराय के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (3) (ii) के तहत डा0 अरुण कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय का योगदान उनके योगदान की तिथि (दिनांक 06.02.14) के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनका योगदान स्वीकार किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

सरकार के संयुक्त सचिव,  
स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 407 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक: 15/05/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उप- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप सचिव निगरानी विभाग, सूचना भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 अरुण कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/ के निजी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
8